न्यायालय :- श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प सागर (म.प्र.)

निग - 1735 - I-16

सत्यकुमार पिता प्रताप होलकर
निवासी – वार्ड क्र. 13, पंढलपुर, रहली, तहसील रहली, जिला सागर (म.प्र.)

.... पुनरीक्षणकर्ता / प्रतिअपीलार्थी

/ / विरूद्ध / /

वीरन. सिंह बल्द पूरन लाल होलकर
निवासी – वार्ड क्र. 13, पंढलपुर, रहली, तहसील रहली, जिला सागर (म.प्र.)

.... प्रतिपुनरीक्षकणकर्ता / अपीलार्थी

तारीख ....

प्रक.क्रं.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित प्रार्थना करता है :–

अपर आयुक्त, सागर द्वारा अपील प्रकरण क्र. 429 / अ–6–अ / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है।

संक्षिप्त तथ्य :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम सहजपुरीखुर्द स्थित भूमि खसरा नं. 487, रकवा 0.80 हैक्टे. का भूमि स्वामी प्रतिअपीलार्थी है और प्रतिअपीलार्थी के पक्ष में सहमति देते हुए तहसीलदार रहली के समक्ष नामांतरण की कार्यवाही प्रस्तावित थी जिसमें बटवारे अनुसार प्रतिअपीलार्थी वीरन बल्द पूरन लाल होलकर निवासी वार्ड नं. 13, पंढलपुर रहली ने सहमति पत्र लिखते हुए न्यायालय श्रीमान् निम्न न्यायालय तहसीलदार रहली के समक्ष सहमति प्रस्तुत की और सहमति पत्र के आधार पर तहसीलदार रहली द्वारा नामांतरण किया गया और सहमति में लेख किया गया कि उक्त विवादित भूमि सत्य कुमार के पिता प्रताप होलकर ने वीरन के पक्ष में विक्रय की थी। तब से उक्त भूमि पर कब्जा एवं कास्तकारी का कार्य पुनरीक्षणकर्ता ही करता चला आ रहा है। निम्न न्यायालय तहसीलदार, रहली एवं न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी, रहली द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किये जो विधि सम्मत हैं और दोनों आदेशों में कोई त्रुटि नहीं हुई है। लेकिन विद्वान निम्न न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया है।

1) यह कि, न्यायालय अपर आयुक्त सागर द्वारा अपील प्रकरण क्र. 429 / अ–6–अ /

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R / 1735 / 16 जिला सागर
सत्यकुमार / वीरन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.x.18	- निगरानी कर्ता सत्य कुमार की ओर से कोई नहीं। - गैर निगरानी कर्ता वीरनसिंह की ओर से अभि. श्री मनीष शर्मा उपस्थित। - निगरानी कर्ता को 31/x/18 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र की तामीली पर निम्न टीप अंकित की गयी है "रेवेन्यु बोर्ड से मिलने संबंधी ऑर्डर, मुझे नहीं प्राप्त हुए।" (सत्य कुमार [illegible]) - माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा WP 17474/2016 (वीरनसिंह Vs राजस्व मण्डल व सत्यकुमार) में पारित आदेश दि. 16/3/2017 से मण्डल का आदेश दि. 22/09/2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस	

(3)

R 1735/2016 / सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि... आदि के ह...क्षर
	सत्यकुमार / वीरन पूर्व प्रकरण निर्देश के साथ वापस किया है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जाये। - माननीय उच्च-न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16/03/2017 के अनुक्रम में मण्डल का आदेश दि 22/09/16 अब अस्तित्व में नहीं है, एवं अपर-आयुक्त सागर संभाग का आदेश 18 फरवरी 2016 अस्तित्व में है जिसके द्वारा तहसीलदार रहली का आदेश दि. 23/12/2008 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दि 6/3/2004 निरस्त किया जाकर वीरन सिंह (इस प्रकरण के गैर निगरानी कर्ता) की Appeal स्वीकार की गयी है। - अतः निगरानी कर्ता की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण इसी Stage पर समाप्त किया जाता है।	Noted 31/10/18

शाक्षेमुग्वा—434—फॉर्म—28-2-18—25,000 प्रपत्र.

31.X.18

1